

## राजस्थान सरकार

## निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/ई.का. 54 विदेश यात्रा/जोन-जयपुर/2023/639

दिनांक-14/9/2023

## आदेश

निम्नांकित नर्सिंग कर्मचारी को विदेश यात्रा बैकांक (थाईलेण्ड) जाने हेतु दिनांक 22.09.2023 से 27.09.2023 तक (06 दिवस) की अनुमति निम्न शर्तों पर प्रदान कि जाती है -

क्र.स.	नाम कर्मचारी एवं पद नाम	पदस्थापन स्थान
1.	सुभाष गोदारा, नर्सिंग ऑफिसर	राजकीय उप जिला चिकित्सालय फतेहपुर सीकर
2.	नरेन्द्र कुमार, सिनियर नर्सिंग ऑफिसर	राजकीय रुप जिला चिकित्सालय फतेहपुर सीकर
3.	भगवान सिंह, सिनियर नर्सिंग ऑफिसर	राजकीय उप जिला चिकित्सालय फतेहपुर सीकर

- कार्मिक विदेश जाने से पूर्व सक्षम स्तर से वांछित अवधि का अवकाश स्वीकृत प्रस्थान करेगा तथा स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जावेगी।
- विदेश जाने हेतु किसी प्रकार का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
- अवकाश समाप्ति के पश्चात अपनी इयूटि पर अविलम्ब उपस्थित होंगे।
- विदेश में किसी प्रकार का रोजगार एवं नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
- विदेश प्रवास के दौरान राज्य सेवा से त्याग पत्र एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।
- कार्मिका विदेश जाकर किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करेगा।

उक्त स्वीकृति राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ 35(28)/चिस्वा /गुप-3/2017 दिनांक 16.11.17 के अनुसरण में जारी की जा रही है।

(सुरेश नवल)

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2/ई.का. 54 विदेश यात्रा/जोन-जयपुर/2023/639

दिनांक-14/9/2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन जयपुर।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर।
- प्रमुख चिकित्सा अधिकारी फतेहपुर सीकर को उनके पत्र क्रमांक 27.06.23 के क्रम में।
- प्रभारी, सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
- आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर